25

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
कुलसचिव कार्यालय

पत्रांकः– यूओयू / आर1 / कार्या0आ0 /271 दिनांकः 22.09.2017

कार्यालय ज्ञाप

सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं को समयबद्ध रूप से प्रदान किए जाने हेतु सिटीजन चार्टर निर्मित कर उन्हें राज्य सरकार की वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने के साथ ही सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग को सूचित किये जाने के संबंध में उत्तराखण्ड शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं।

विश्वविद्यालय में परीक्षा अनुभाग, प्रवेश अनुभाग, पुस्तक–वितरण अनुभाग, निदेशालय क्षेत्रीय सेवायें एवं वित्त अनुभाग के ऐसे कार्य है, जो सिटीजन चार्टर से संबंधित है। इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने के लिए दिनांक 26.09.2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे कुलसचिव कक्ष में एक बैठक आयोजित की जा रही है। वर्णित अनुभागों से संबंधित अधिकारियों के द्वारा उक्त बैठक में प्रतिभाग किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्तानुसार निर्धारित समय पर बैठक में सम्मिलित होने का कष्ट करें।

कुलसचिव
22/9/17

प्रतिलिपिः निम्नांकित को ई–मेल द्वारा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. कुलपति जी के निजी सचिव को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक।
3. निदेशक, निदेशालय क्षेत्रीय सेवायें।
4. वित्त नियंत्रक।
5. प्रभारी, प्रवेश अनुभाग।
6. प्रभारी, पुस्तक–वितरण अनुभाग।
7. विशेष कार्याधिकारी, अधिष्ठान।

कुलसचिव
22/9/17

Scanned by CamScanner